"प्रकाशन के लिए स्वीकृत"

निर्णय सुरक्षित करने की तिथि - 6.11.2019

निर्णय सुनाने की तिथि - 15.11.2019

वाद : रिट – सी सं. – 11448/2017
प्रार्थी : राजीव @ राजू कुमार
प्रत्यर्थी : उ0प्र0 राज्य एवं 2 अन्य
याची की ओर से अधिवक्ता : सुदीप द्विवेदी
प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शेर बहादुर यादव, शिव शंकर गुप्ता

माननीय सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान व्यवहार प्रकीर्ण याचिका के माध्यम से याची ने प्रार्थना की है कि, आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2017, जिससे याची के द्वारा दायर की गई अपील संख्या 256/F (अन्तर्गत 13 (3) उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2016 (संक्षेप में 'आदेश 2016') बलहीन होने के कारण निरस्त की गयी है तथा उप जिलाधिकारी निजामाबाद, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2016, जिससे द्वारा याची के उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र निरस्त किया गया था, उक्त आदेश की पुष्टी की गई है, को निरस्त किया जाये।

2. याची सरकारी सस्ते गल्ले, मिट्टी तेल का विक्रेता है एवं उसे उचित दर दुकान (ग्राम पंचायत खानपुर चितरविल, विकासखण्ड मिर्जापुर) का अनुबन्ध पत्र जारी किया गया था तथा याची सन् 1992 से उचित दर दुकान कॊ लगातार चला रहा था। दिनांक 24.06.2016 को दूरभाष पर की गयी शिकायत के क्रम में याची की उचित दर दुकान पर आकास्मिक स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय पूर्ति निरिक्षक , निजामाबाद द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित ग्रहस्थियों/ अंत्योदय कार्ड धारको व उनके परिवार से खाद्यान वितरण सम्बधी पूछ-ताछ भी करी गई। दुकान पर पात्र गृहस्थियों/ अंत्योदय कार्ड धारकों की सूची , सामान की दरो का पट्ट, सामाग्री पट्ट, सूचना पट्ट आदि प्रदर्शित नहीं किया गया था। पूछताछ के दौरान यह भी विदित हुआ कि याची का व्यवहार ग्राहको के प्रति अच्छा नहीं रहता था। याची ने अंत्योदय कार्ड धारको कॊ शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से कम एवं अधिक मूल्य पर खाद्यान का वितरण किया एवं अन्य शिकायतें भी पायी गई। अतः यह माना गया कि याची ने आदेश 2004 व अनुबन्ध पत्र की शर्तो का उल्लंगन किया है। तदानुसार उप जिलाधिकारी, निजामाबाद आजमगढ़ ने क्षेत्रिय

पूर्ति निरीक्षक , निजामाबाद की जाँच आख्या दिनांक 26.06.2016 पर संज्ञान लेते हुए, अपने आदेश दिनांक 29.06.2016 के द्वारा याची का अनुबन्ध पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया तथा याची को एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष रखने का समय दिया। साथ ही साथ याची के उचित दर दुकान का समस्त कोटा दूसरी दुकान से सम्बन्ध कर दिया गया।

3. याची के अपना स्पष्टीकरण एक निवेदन के रूप में दिया जिसमें कहा गया कि सूची सम्रागी दर पट्ट व समाग्री पट्ट प्रदर्शित किया गया था। यह भी कहा कि कुछ कार्ड धारक दुबारा बयान देना चाहते है, क्योंकि पहले उन्होने किसी दबाव में आकर याची के विरूद्ध ब्यान दिया था। याची के विरूद्ध शिकायत मात्र चुनावी रंजिश के कारण की गई है। अन्तः प्रार्थना की गई कि निलम्बित दुकान बहाल करी जायेॅ। याची ने माह अप्रैल, मई, जून सन् 2016 की वितरण पंजिका व स्टाक पंजिका की छाया प्रति व समस्त योजनाओ के कार्ड धारको का सामूहिक हस्ताक्षर किया गया प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया।

4. याची के स्पष्टीकरण देने के उपरान्त उपजिलाअधिकारी, निजामाबादा, आजमगढ़ ने प्रकरण की सुनवाई करी तथा क्षेत्रीय पूर्ति निरिक्षक की जाँच आख्या दिनांक 26.06.2016, याची द्वारा दिया गया लिखित स्पष्टीकरण एवं संलग्न प्रदर्शों का ध्यान पूर्वक परिशीलन करने के उपरान्त प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुचे की याची (उचित दर विक्रेता) ने आवश्यक वस्तुओ के वितरण में गम्भीर अनियमतायें कारित की है। फलस्वरूप याची का अनुबन्ध पत्र निरस्त करने योग्य है। तदनानुसार अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का आदेश दिनांक 16.09.2016 पारित किया। उक्त आदेश के प्रमुख अंश निम्न है।

> *" इस प्रकार उचित दर विक्रेता ग्रामपंचायत खानपुर चितरावल द्वारा दिनांक 12.07.2016 को प्रस्तुत स्पष्टीकरण व साक्ष्यों का क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा परीक्षणोपरान्त आख्या दिनांक 14.09.2016 प्रस्तुत किया गया कि विक्रेता द्वारा अन्तयोदय कार्डधारको में शासन द्वारा निर्दारित मात्रा से कम मात्रा एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य 95 रू० के स्थान पर 100 रू० लेकर खाद्यान का वितरण किया गया है विक्रेता द्वारा प्रस्तुत की गयी स्पष्टीकरण में अधिक मूल्य लिया जाना स्वीकार किया गया है तथा चीनी का वितरण निर्धारित मात्रा 02 किग्रा० के स्थान पर 01 किग्रा० शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 13.50 रू० प्रति किग्रा० न लेकर 15.00 रू० लिया जाना विक्रेता द्वारा स्वीकार किया गया है। पात्र गृहस्थी के अधिकांश कार्डधारकों में राशन वितरण नहीं किया गया है। पात्र गृहस्थी के अधिकंश कार्ड*

धारकों में राशन वितरण नहीं कियागया है। कुछ पात्र गृहस्थी कार्डो पर वितरण किया गया है तो दर्ज यूनिट के अनुसार वितरण न करके मनमाने ढंग से कम मात्रा व अधिक मूल्य पर वितरण किया गया है। समस्त योजना के कार्ड धारकों में मिट्टी तेल शासन द्वारा निर्धारित मात्रा पर वितरण किया गया है किन्तु अधिक मूल्य लिया गया है। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत वितरण पंजिका में कार्डधारकों के नामों के सम्मुख मात्रा व मूल्य अंकित है किन्तु प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर वाले कालम में अधिकतर अंगूठा निशानी लगा है , ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में निशानी अंगूठा लगा दिया गया है तथा वितरण पंजिका किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। समस्त पात्र गृहस्थी योजनाओं के कार्डधारकों एक ही मात्रा में खाद्यान्न का वितरण करना अंकित है जबकि यूनिट के अनुसार खाद्यान वितरण किया जाना था जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा कपटपूर्ण नीति से वितरण पंजिका तैयार की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के पुष्ट भाग पर संयुक्त रूप से लोगो का हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लगवाया गया है इन लोगो का न तो कार्ड संख्या अंकित है और न तो किस योजना के कार्डधारक है, इसका भी उल्लेख नहीं है। विक्रेता द्वारा कार्डधारको से दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है। विक्रेता द्वारा अन्तयोदय कार्डधारकों में शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से कम एवं अधिक मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण किया जाना, चीनी निर्धारित मात्रा/मूल्य पर वितरण न करना, मिट्टी तेल का वितरण निर्धारित मूल्य पर न करना, कार्डधारको से दुर्व्यवहार करना उचित दर दुकान पर पात्र गृहस्थीयों/अन्त्योदय कार्डधारको की सूची, रेट व स्टाक बोर्ड, साइन बोर्ड, टोलफ्री नं० प्रदर्शित न करना जो उ०प्र० अनूसूचित वस्तु वितरण आदेश 2004 व अनुबन्ध पत्र की शर्तो का उल्लघंन है। उचित दर विक्रेता श्री राजू कुमार द्वारा निलम्बन के क्रम में प्रस्तुत स्पष्टीकरण व साक्ष्य बलहीन व तथ्यहीन पाये जाने के फलस्वरूप उचित दर की दुकान का अनुबन्ध-पत्र बनाये रखना जनहित व अनुसुचित वस्तु वितरण आदेश 2004 के प्राविधानो के क्रम में उचित नहीं है , जिसके

फलस्वरूप क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा निलम्बित विक्रेता श्री राजू कुमार के उचित मूल्य की दुकान का अनुबन्ध- पत्र निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।"

5. याची अपने अनुबन्ध पत्र के निरस्त करने के आदेश दिनांक 16.09.2016 के क्षुब्द होकर कण्डिका सं 28(3) , उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का अधिनियम) आदेश 2016 (संछेप में 'आदेश 2016') के अंतर्गत आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के समक्ष अपील दायर की। अपील के मुख्य आधार निम्न लिखित है :-

"10- यह कि क्षेत्रीय पूर्तिनिरीक्षक की जॉच आख्या 14.09.2016 की भी कापी अपीलकर्ता को नहीं दी गयी जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।
11- यह कि उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने दिनांक 24.06.2016 की शिकायत पर दिनांक 26.6.2016 को जॉच रिपोर्ट दिया और फिर प्रार्थी के स्पष्टीकरण एवं समस्त अभिलेखों का परीक्षण भी पूर्ति निरीक्षक द्वारा किया गया बताया गया और पुनः जॉच आख्या दिनांक 24.09.2016 को दी गई। इस प्रकार शिकायतकर्ता ही जॉच अधिकारी के रूप में अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का निर्णय भी लिया जो कानूनन गलत है। क्योंकि उपजिलाधिकारी द्वारा स्वयं स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया।
12- यह कि उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच आख्या दिनांक 14.09.2016 के आधार पर आदेश पारित किया गया है जॉच आख्या से संतुष्ट होने का कोई

निष्कर्ष आदेश में नहीं दिया है कि किस आधार पर अनुबन्ध पत्र निरस्त किया गया है।"

6. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 2.1.2017 के माध्यम से याची की अपील संख्या 256/ए को बलहीन मानते हुए निरस्त कर दिया। आदेश के प्रमुख अंश निम्न है।

"पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की ओर से दिनांक 12.07.2016 को स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके साथ सादे पेपर पर कतिपय ग्रामवासियों के हस्ताक्षर है, एवं अभिलेखों की छायाप्रति एवं कुछ अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है। वितरण रजिस्टर किसी भी अधिकारी द्वार प्रमाणित नहीं किया गया है, जबकि वितरण रजिस्टर के अन्तिम पृष्ठ पर यह प्रमाणित नहीं किया गया है, जबकि वितरण रजिस्टर के अन्तिम पृष्ठ पर यह प्रमाणित किया जाता है कि रजिस्टर में क्रमांक इतने से इतने पन्ने हैं। केवल माह अप्रैल 2016 के मिट्टी तेल का रजिस्टर प्रमाणित किया गया है। विद्वान उपजिलाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण व अभिलेखों का क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक से परीक्षण कराया गया है। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.09.2016 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि समस्त पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को एक ही मात्रा में खाद्यान्न वितरण किया जाना अंकित किया गया है। जबकि यूनिट के आधार पर खाद्यान्न वितरण किया जाना चाहिए। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत वितरण पंजिका में कार्डधारकों के नाम के सम्मुख मात्रा व मूल्य अंकित है, किन्तु प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर वाले कालम में अधिकतर निशानी अंगूठा लगा है तथा वितरण रजिस्टर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। समस्त योजनाओं के कार्डधारकों के मिट्टी तेल शासन द्वारा निर्धारित मात्रा पर वितरण किया गया है, किन्तु निर्धारित मूल्य से अधिक

मूल्य लिया गया है। विक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण के पुष्ट भाग पर संयुक्त रूप से लोगों का हस्ताक्षर निशानी अंगूठा लगवाया गया है, जबकि न तो उन लोगो कार्ड संख्या अंकित किया गया है और न तो किस योजना के कार्डधारक हैं, इसका भी कोई उल्लेख नही किया गया है। अपने परीक्षण रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि विक्रेता द्वारा कार्डधारकों से दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है। अन्त्योदय बी०पी०एल० एवं पात्र गृहस्थी योजना के खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी तेल आदि निर्धारित मात्रा से कम व निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वितरण किया गया है। इस प्रकार स्पष्टीकरण व साक्ष्य बलहीन व तथ्यहीन पाये जाने के कारण अनुबन्ध पत्र बनाये रखने का कोई औचित्य न पाते हुए दुकान निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

इस प्रकार विद्वान उपजिलाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के वितरण के विरूद्ध पूर्व में भी की गयी शिकायत तथा दूरभाष पर की गयी शिकायत के आधार पर पूर्ति निरीक्षक से आकस्मिक स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्डधारकों के बयान के आधार पर जांच में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत अपीलकर्ता की दुकान का अनुबन्ध पत्र, स्पष्टीकरण प्राप्त कर पुनः स्पष्टीकरण व अभिलेखों का परीक्षण कराकर जांच में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत अपीलकर्ता की दुकान को बनाये रखने का कोई औचित्य न पाते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 16.09.2016 द्वारा अपीलकर्ता की दुकान का अनुबन्ध पत्र निरस्त किया है। इस प्रकार विद्वान उपजिलाधिकारी द्वारा पत्रावली उपलब्ध अभिलेखों व साक्ष्यों का विधिवत परीक्षण करने के उपरान्त ही आलोच्य आदेश दिनांक 16.09.2016 पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं पाया जाता है। अपील निरस्त होने योग्य है।

अतः अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति सहित वापस की जाती है। बाद

आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।"

7. याची ने वर्तमान याचिका के द्वारा उपरोक्त वर्णित आक्षेपित आदेश दिनांक 25.1.2017 व 16.9.2016 को निरस्त करने की प्रार्थना की है। याची ने याचिका के प्रस्तर 20 व आधार प्रस्तर (I) व (II) में उल्लेख किया है, कि क्षेत्रीय पुर्ति अधिकारी द्वारा की गई जॉच आख्या दिनांक 26.06.2016 की प्रति-याची को नहीं दी गयी थी। अतः याची के विरुद्ध समस्त कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध की गई है, अतः ऐसी कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। याची ने अपने कथन के समर्थन में कुछ विधि वयवस्थाओ का भी उल्लेख किया है।

8. प्रति-पक्षी संख्या 3 ने प्रति शपथ पत्र दाखिल किया है तथा याचिका के प्रस्तर संख्या 20 के उत्तर में निम्न लिखा है।

"यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या-20 में उल्लिखित विधि व्यवस्थाओं पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है शेष जिस प्रकार लिखित है, स्वीकर नहीं है क्योंकि याची द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता किया जाना सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप याची का अनुबन्ध-पत्र निरस्त किया गया। याची द्वारा उल्लिखित विधि व्यवस्थाए याची के प्रकरण मे लागू नहीं है।"

प्रति पक्षी संख्या ३ ने आधार संख्या (I) व (II) का कोई प्रति उत्तर नहीं दिया है। याची द्वारा प्रतिशपथ का उत्तर भी दाखिल किया जिसमे जाँच आख्या दिनाँक 26.06.2016 को याची को न देने का तथ्य फिर से उल्लेखित किया है।

9. याची के विद्वान अधिवक्ता हरीश चन्द्र दूबे ने प्रबल प्रतिवेदन किया और कहा कि याची के विरूद्ध समस्त कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध की गई है। याची को जाँच आख्या की प्रति नहीं दी गई है। याची के द्वारा दिये गये दस्तावेजो का परिशीलन ध्यान पूर्वक नहीं किया गया है। उप जिलाधिकारी ने मात्र जाँच आख्या पर ही केन्द्रित होकर अपना आदेश पारित किया। उप जिलाधिकारी ने अपना कोई स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं दिया है। इसी क्रम में आयुक्त महोदय ने भी याची की अपील सतही व अनौपचारिक रूप से निरस्त कर दी एवं अपील में लिये गये विभिन्न आधार पर कोई ध्यान या टिप्पणी नहीं करी है।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित विधि वयवस्था (रामकृपाल यादव बनाम उ०प्र० सरकार एवं अन्य रिट पिटिशन नं० 4011 (एम०आई०एस) आफ 2010 व अन्य याचिकाओं का निर्णय

दिनांक 05.05.2011) पर इस न्यायालय का ध्यान आकृषित कराया, कि उक्त व्यवस्था में यह प्रतिपादित किया है कि, किसी अनुबन्ध पत्र को निरस्त करना एक गंभीर विषय है, जिसपर अनौपचारिक रूप में निर्णय नही लिया जा सकता। निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को निष्पक्षता से निर्णय लेना चाहिये एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का पालन करना चाहिये। ऐसा दस्तावेज (जैसे जाँच आख्या, निरीक्षण आख्या आदि) जिसका उपयोग पीड़ित के विरूद्ध किया गया हैं, उसकी प्रति उसको न देना, ऐसे स्थापित नियमों के विरूद्ध होगा तथा ऐसे आदेश निरस्त किये जाने योग्य होगे।

11. प्रति उत्तर में उ०प्र० सरकार के स्थाई अधिवक्ता ने कथन किया की याची ने वृहद स्तर पर आदेश 2004 व निबन्धन पत्र की शर्तो के विरूद्ध कार्य किया एवं गम्भीर अनियमिताये बरती है। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक की जांच आख्या में उल्लेखित है कि याची ने ग्राहको को अधिक मूल्य में कम सामग्री प्रदान करी व दुकान पर सूचना पट्ट इत्यादि भी नहीं लगाये थे। याची का व्यवहार भी ठीक नहीं रहा। याची ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जिससे, निरस्तीकरण आदेश में लिये गये आधार असत्य माने जाये। याची को अपना पक्ष रखने

के लिए समय दिया गया तथा याची ने लिखित स्पष्टीकरण के साथ आवश्यक दस्तावेज भी लगाये थे, जिनका परिशीलन किया गया। अतः नैसर्गिक न्याय के नियमो का पूर्णतः पालन हुआ है।

12. याची व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनो का श्रवण किया एवं उपलब्ध दस्तावेजो तथा विधि व्यवस्थाओ का परिशीलन ध्यान पूर्वक किया।

13. नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का पालन किसी भी कार्यवाही चाहे वो न्यायिक, प्रशासनिक, न्यायिकल्प ही क्यो न हो आवश्यक है। यह विधि सम्मत है कि सही , निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्णय के लिए इन सिद्धान्तो का पालन करना अनिवार्य है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिशिक्षित करना निष्पक्ष निर्णय के अधिकार का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें इन सिद्धान्तो का परिपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसा माना जायेगा कि पीड़ित व्यक्ति के अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है।

14. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णय मे निरंतर यह प्रतिपादित किया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये। ऐसा न करने से समस्त

कार्यवाही निरस्त की जा सकती है। सिद्धान्तो का परिपालन न करने से यह माना जायेगा की कार्यवाही मे निष्पक्षता नहीं रखी गयी है। ***एस एल कपूर बनाम जगमोहन एंड सन्स (1980 (4) एस सी सी, 379)*** मामले में यह प्रश्न उठा था कि क्या नैसर्गिक न्याय के नियमो का पालन तब भी किया जाना चाहिये जब कोई ऐसे अविवादित तथ्य जो निर्णय लेने के लिए पर्याप्त हो और नोटिस देने के बाद भी अन्त परिणाम वही होगा। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि केवल इसलिए क्योंकि तथ्य स्वीकार किये जा सकते है या निर्विवाद है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का पालन न करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायमूर्ति की संवैधानिक पीठ ने ***एस एस गिल बनाम चीफ इलेक्शन कमिशनर (1978 (1) एस सी सी 405),*** में यह प्रतिपादित किया कि प्राशासनिक एवं अर्धन्यायिक कार्यो में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का परिपालन अनिवार्य है। नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य "न्याय को विफल होने से रोकना" है। ये नियम न्यायिक तथा न्यायिक-कल्प कार्रवाईयों में तो लागू होते ही हैं, वरन प्रशासनिक कार्रवाईयों में भी लागू होते हैं। न्यायिक-कल्प जाँच तथा प्रशासनिक जाँच, दोनों, का उद्देश्य

यही होता है कि न्यायसंगत विनिश्चय पर पहुँचे। प्रशासनिक कार्यवाहियों मे भी 'निष्पक्षता', एवं 'मनमानेपन का बहिष्करण', होना तथा उचित एवं न्यायसंगत रूप से कार्य करना, अनिवार्य है। यह सुप्रतिष्ठित विधि है कि, ऐसी प्रशासनिक कार्यवाही में, जो सिविल दुष्परिणाम उत्पन्न करती हो, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त अनिवार्य रूप से लागू होते है। अर्थात् किसी प्रशासनिक आदेश से सिविल दुष्परिणाम उत्पन्न होते हों तो ऐसा प्रशासनिक आदेश भी नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुपालन के उपरान्त ही पारित कियॅे जा साकतॅे है। "विधिसम्मत शासन" का अंतनिर्हित सिद्धान्त है कि सिविल दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाला आदेश, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करके ही पारित किया जायॅे।

15. वर्तमान याचिका के तथ्यो से यह विदित 15 होता है, कि याची के विरूद्ध समस्त कार्यवाही का आधार क्षेत्रिय पूर्ती अधिकारी की जाँच आख्या दिनांक 26.06.2016 है। उप जिलाधिकारी एवं आयुक्त ने उक्त जांच आख्या को ही आधार मान कर अपने निर्णय पारित किये है। इस तथ्य 15 से कि उक्त जांच आख्या के प्रति याची को नहीं दी गई है, प्रति वादी के अधिवक्ता इंकार नहीं कर पाये है। अतः यह सिद्ध होता है कि

उक्त जांच आख्या की प्रति याची को कभी भी नही दी गई है। मै याची के विद्वान अधिवक्ता के कथन से पूर्णत: सहमत हूँ की निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं रखी गयी है व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का परिपालन नहीं किया गया है।

16. उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में एवं उपरोक्त वर्णित न्यायिक प्रतिपादनों के गहन अध्ययन के उपरान्त, मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वर्तमान वाद मे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का अनुपालन नहीं हुआ है। इस कारण से निर्णय लेने की सम्पूर्ण प्रक्रिया दूषित हो गई है। अतः ऐसी प्रक्रिया को न्यायपूर्ण व दोषरहित नहीं कहा जा सकता है। अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 16.09.2011 (उपजिलाधिकारी निजामाबाद, आजमगढ़) एवं 25.01.2017 (आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़) न्यायपूर्ण न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, अतः निरस्त किये जाते है। यह याचिका इस आदेश के साथ अंतिम रूप से ***निस्तारित*** की जाती है, कि वर्त्तमान प्रकरण उप जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रतिशरण इन निर्देशों के साथ किया जाता है, वो वर्त्तमान प्रकरण को नैसर्गिक सिद्धान्तों का पालन करते हुए, इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के मिलने के चार सप्ताह के अंतर्गत, गुण दोष के

आधार पर निस्तारित करेंगे। यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि इस न्यायालय ने वर्तमान प्रकरण के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

Order Date :- 15.11.2019

A. Dewal

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)